

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 154/2020
वादपत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. पृथ्वीराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट सा. भागुवाला तह. अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) (विलोपित)
- 1/1 हरविन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया हनुमानगढ़ (राज.)
- 1/2 लखविन्द्रसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया हनुमानगढ़ (राज.)

---वादीगण

बनाम्

1. महावीर पुत्र पूर्णराम जाति जाट सा. भागुवाला तह. अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

2. दर्शन सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया हनुमानगढ़
3. सलोचना पत्नी हरीशचन्द्र
4. सुशीला देवी पत्नी धर्मवीर
5. मन्जू पत्नी रमन

जाति समस्त जाट निवासीगण ढांबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

6. रामसिंह पुत्र जसवंत सिंह
7. हरनाम सिंह पुत्र जसवंत सिंह
8. गुरनायब सिंह पुत्र लाभसिंह
9. कालासिंह पुत्र लाभसिंह
10. तारासिंह पुत्र निहाल सिंह
11. महेन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह
12. जोगेन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह
13. सुखमन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
14. कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
15. हजूर सिंह पुत्र हरदत सिंह
16. दलीप सिंह पुत्र हरदत सिंह
17. सोहन सिंह पुत्र रुड़सिंह
18. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र अजमेर सिंह
19. गुरजन्ट सिंह पुत्र पूर्णसिंह

जाति समस्त जटसिख

निवासीगण ढांबा

तहसील संगरिया

जिला हनुमानगढ़ (राज.)

20. अमीचन्द पुत्र रामजस
21. रामरख पुत्र रामजस
22. रामप्रताप पुत्र बीरबलराम
23. रामचन्द पुत्र बीरबलराम
24. धर्मसिंह पुत्र दलसिंह

जाति समस्त जाट निवासीगण ढांबा

तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

25. गुरचरण सिंह पुत्र बाबूसिंह
26. बन्तसिंह पुत्र दलसिंह
27. बलदेव सिंह पुत्र सुचासिंह
28. गुरसेवक सिंह पुत्र सरजीत सिंह

जाति समस्त जटसिख निवासीगण बबीह तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

जगसीर सिंह पुत्र जीतसिंह
 मुखत्यार सिंह पुत्र चनणसिंह
 जोरासिंह पुत्र चनणसिंह
 अजायब सिंह पुत्र चनणसिंह
 लामसिंह पुत्र बाबूसिंह

जाति समस्त जटसिख निवासीगण
 बबीहा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा ढाबां
 शाखा प्रबन्धक पीएनबी शाखा संगरिया
 शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. शाखा ढाबां
 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

स्थिति :-

श्री कुलदीप मूण्ड - वकील वादी
 श्री महावीर बैरड - वकील प्रति.सं.2,8,9

- प्रतिवादीगण

वादी पृथवीराम ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 37 के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता तकसीम के तहत दिनांक 05.08.2020 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी को चक नं. 8 बी.जी.पी.(ए) खाता सं. 26/46 जं.सं. 2073-76 खाता में 1.489 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी खाता में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 2.197 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 सगे भाई है। उक्त खातो का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
8 बी.जी.पी. (ए) खाता सं. 26/46			
	199/150	29	17 ता 25
	199/151	32	3 ता 18,23,24,25
	200/151	33	3,4,5,21ता24
	200/152	36	1/1, 1/1,8ता10
	199/152	37	3 ता 5

कुल 9.209 है. कृषि भूमि।

वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का अच्छी नदी अनुसार घरु विभाजन करीब 20 वर्ष पूर्व कर लिया था, मुताबिक घरु विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काशत कर रहे है। कब्जा काशत बाबत कोई विवाद नहीं है। किन्तु रकबा सांझा खाता में दर्ज होने के कारण सीव बट व मालिकाना को लेकर विवाद बना रहता है इसलिए वादी अपना कब्जा काशत अनुसार अलग कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। मुताबिक घरु विभाजन वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को निम्न कृषि भूमि हिस्सा में आई है :-

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
8 बी.जी.पी. (ए) खाता सं. 26/46			
	199/151	32	-9,10,11,12,13,14/0.253 है.प्र., 15,16/0.228 है.प्र. 17,18,23,24/0.253 है.प्र., 25/0.228 है.
	199/152	37	3/0.253 है.
	200/151	33	3/0.127 है.गै.मु., 0.075 कुल 3.669 है.मय गै.मु.।

महाबक क... एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया

वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है वादी ने प्रतिवादीगण सहित सभी वादपत्र की चरण सं. 3 अनुसार खाता विभाजन करवाने हेतु अनेको बार निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सींगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2,8,9 की ओर श्री महावीर बैरड़ ने वकालतनामा पेश किया, किन्तु कोई जवाबदावा पेश नहीं किया। प्रतिवादी सं. 3 ता 5 की ओर से मीमो ऑफ अपीयरेंस पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 11ता14 की तामिल पूर्व में हो चुकी है। प्रार्थीगण हरविन्द्र सिंह ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र अ० आदेश 01 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पथीराम को नाम विलोपित किया जाकर प्रार्थीगण को वादपत्र में लाल स्याही से स्थापित किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 36 की अन्तिम सूचना दैनिक सामाचार पत्र के माध्यम से साया करवाई गई, इसके बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई। साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 8 बी.जी.पी. खाता सं. 26/46 जं.सं. 2073-76 पेश हुई। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से कब्जा काशत रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने पत्रांक/भूअ./2024/789 दिनांक 13.03.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सह काशतकार है। प्रकरण में अन्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए वकील वादी ने तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त कब्जा काशत रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस एकपक्षीय पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक नं. 8 बी.जी.पी. खाता सं. 26/46 की तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी खरीदशुदा सम्पत्ति है। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं है एवं उक्त खाता अपवादित भी है। वादीगण ने अन्य सहकाशतकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया है। वादीगण ने अन्य सहकाशतकारान के साथ कोई भी सहकाशतकारान के साथ कोई था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादीगण काशत करते चले आ रहे हैं। वादीगण का कब्जाकाशत बाबत अन्य किसी भी सहकाशतकारान के साथ कोई विवाद नहीं है। वर्तमान में भी कब्जा काशत बाबत कोई विवाद सामने नहीं आया है। प्रतिवादी सं. 1ता 36 बावजूद सूचना न्यायालय में हाजिर नहीं आये है। प्रकरण में अन्य कोई विरोध सामने नहीं आया है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काशतकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

महावीर बैरड़
राजस्व अधिकारी
संगरिया

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः उक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वादपत्र तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :-

पटवार मंडल ढाबां / 8 बी.जी.पी. के खाता सं. 32/28 के मु.नं. 29,32,33,36,37 के उक्त प्रकरण में पटवारी मौके पर जाकर काब्जाकाशत अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जो कि निम्न प्रकार से है :-

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/150	29	17,23,24 / 0.253 है.प्र., 25 / 1 / 0.228 है., 25 / 2 / 0.025 है.,
199/151	32	3,4 / 0.253 है.प्र., 5 / 1 / 0.228 है., 5 / 2 / 0.025 है., 6 / 1 / 0.228 है., 6 / 2 / 0.025 है., 7ता14 / 0.253 है.प्र., 15 / 1 / 0.228 है., 15 / 2 / 0.025 है., 16 / 1 / 0.228 है., 16 / 2 / 0.025 है., 17,18,23,24 / 0.253 है.प्र., 25 / 1 / 0.228 है., 25 / 2 / 0.25 है.,
199/152	37	3,4 / 0.253 है.प्र., 5 / 1 / 0.228 है., 5 / 2 / 0.025 है.,
200/151	33	3,4 / 0.253-है.प्र., 5 / 1 / 0.228 है., 5 / 2 / 0.025 है., 21,22,23 / 0.253 है.प्र., 24 / 0.188 है.
200/152	36	1 / 1 / 0.190 है., 4 / 2 / 0.126 है., 8,9,10 / 0.253 है.प्र., कुल = 9.359 है.

काशतकार के बताए अनुसार मौका कब्जा निम्न प्रकार से है:-

(1) हरविन्द्र सिंह, लखविन्द्र सिंह पुत्रगण श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/151	32	17 / 1 / 0.224 है.प्र., 18,23,24 / 0.253 है.प्र., 25 / 1 / 0.228 है., 25 / 2 / 0.25 है.,
199/152	37	3 / 0.253 है. कुल = 1.489 है.

(2) दर्शन सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) 1.746 है. राहिन एस.बी.आई. शाखा ढाबां।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/150	29	17,23,24 / 0.253 है., 25 / 1 / 0.228 है., 25 / 2 / 0.025 है.,
199/151	32	3,4 / 0.253 है.प्र., 5 / 1 / 0.228 है., 5 / 2 / 0.025 है., 6 / 1 / 0.228 है., 6 / 2 / 0.025 है., 7 / 0.253 है., 8 / 1 / 0.202 है., कुल = 2.479 है.

(3) महावीर पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट निवासी भागूवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब) 0.759 है. राहिन पंजाब नैशनल बैंक शाखा संगरिया।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/151	32	8 / 2 / 0.051 है., 9ता14 / 0.253 है.प्र., 15 / 1 / 0.228 है., 15 / 2 / 0.025 है.,


 जिलाधिकारी
 संगरिया

16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,

17/2/0.029 है.प्र.,

कुल 2.104 है.,

- (4) सुलोचना पत्नी श्री हरिशचन्द्र 0.505 है., सुशीला देवी पत्नी श्री घर्मवीर 0.127 है., मन्जू पत्नी श्री रमन 0.127 है., समस्त जाति जाट निवासी ढाबा राहिन पंजाब नैशनल बैंक शाखा ढाबां।

प.नं. मु.नं. कि.नं.

200/151 33 3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
कुल 0.759 है.,

- (5) मन्दीप सिंह पुत्र श्री बलकौर सिंह 1/2 हिस्सा, नवदीप सिंह पुत्र श्री राज सिंह 1/2 हिस्सा, समस्त जाति जटसिख निवासी ढाबां।

प.नं. मु.नं. कि.नं.

200/151 33 21,22,23/0.253 है.प्र., 24/0.188 है.,
200/152 36 4/2/0.126 है.,
कुल 1.073 है.

- (6) मोहन सिंह पुत्र श्री रूड सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां।

प.नं. मु.नं. कि.नं.

200/152 36 1/1/0.190 है.,
कुल 0.190 है.

- (7) गुरजन्त सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां।

प.नं. मु.नं. कि.नं.

200/152 36 8,9,10/0.253 है.प्र.,
कुल 0.759 है.

- (8) कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुखमहेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां।


प.नं. मु.नं. कि.नं.

199/152 37 4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
कुल 0.506 है.

उक्त रकबा पर अजायब सिंह पुत्र श्री चनण सिंह, गुरचरण सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, गुरसेवक सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह, जगसीर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, जोरा सिंह पुत्र श्री चनण सिंह, धर्म सिंह पुत्र श्री दल सिंह, बन्त सिंह पुत्र श्री दल सिंह, बलदेव सिंह पुत्र श्री सूचा सिंह, मुख्त्यार सिंह पुत्र श्री चनण सिंह, लाभ सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, समस्त जाति जटसिख निवासी बंबीहा तहसील बठिण्डा, काला सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, गुरजीत सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह गुरदेव सिंह पुत्र श्री बक्शीस सिंह, गुरनायब सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, तारा सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह, दलीप सिंह पुत्र श्री हरदत सिंह, नक्षत्र सिंह पुत्र श्री बक्शीस सिंह, राम सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, सोहन सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, हजूर सिंह पुत्र श्री हरदत सिंह, हरनाम सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह समस्त जाति जटसिख निवासी ढाबां अमीचन्द पुत्र श्री रामजस, रामचन्द्र पुत्र श्री बीरबल, रामप्रताप पुत्र श्री बीरबल, रामरिख पुत्र श्री रामजस, हरिराम पुत्र श्री रामजस जाति जाट निवासी ढाबां का मौका कब्जा काश्त नहीं है।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व

महायक  एवं
राजस्व अधिकारी
संगरिया

रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी / प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन-यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.4.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया

डिक्री वमुकदमें ईब्लदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया.

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 154/2020

1. पृथ्वीराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट सा. भागुवाला तह. अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) (विलोपित)
- 1/1 हरविन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया हनुमानगढ़ (राज.)
- 1/2 लखविन्द्रसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम्

—वादीगण

1. महावीर पुत्र पूर्णराम जाति जाट सा. भागुवाला तह. अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. दर्शन सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया हनुमानगढ़
3. सलोचना पत्नी हरीशचन्द्र
4. सुशीला देवी पत्नी धर्मवीर
5. मन्जू पत्नी रमन
6. रामसिंह पुत्र जसवंत सिंह
7. हरनाम सिंह पुत्र जसवंत सिंह
8. गुरनायब सिंह पुत्र लाभसिंह
9. कालासिंह पुत्र लाभसिंह
10. तारासिंह पुत्र निहाल सिंह
11. महेन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह
12. जोगेन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह
13. सुखमन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
14. कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
15. हजूर सिंह पुत्र हरदत सिंह
16. दलीप सिंह पुत्र हरदत सिंह
17. सोहन सिंह पुत्र रुड़सिंह
18. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र अजमेर सिंह
19. गुरजन्त सिंह पुत्र पूर्णसिंह
20. अमीचन्द पुत्र रामजस
21. रामरख पुत्र रामजस
22. रामप्रताप पुत्र बीरबलराम
23. रामचन्द पुत्र बीरबलराम
24. धर्मसिंह पुत्र दलसिंह
25. गुरचरण सिंह पुत्र बाबूसिंह
26. बन्तसिंह पुत्र दलसिंह
27. बलदेव सिंह पुत्र सुचासिंह
28. गुरसेवक सिंह पुत्र सरजीत सिंह

जाति समस्त जाट निवासीगण ढांबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

जाति समस्त जटसिख
निवासीगण ढांबा
तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

जाति समस्त जाट निवासीगण ढांबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

जाति समस्त जटसिख निवासीगण बबीहा
तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

29. जगसीर सिंह पुत्र जीतसिंह
30. मुख्तयार सिंह पुत्र चनणसिंह
31. जोरासिंह पुत्र चनणसिंह
32. अजायब सिंह पुत्र चनणसिंह
33. लाभसिंह पुत्र बाबूसिंह
34. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा ढाबां
35. शाखा प्रबन्धक पीएनबी शाखा संगरिया
36. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. शाखा ढाबां
37. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

जाति समस्त जटसिख निवासीगण
बबीहा तहसील व जिला बटिण्डा (पंजाब)

वाद पत्र अं० धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 16.4.2014

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल क्लर्क रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई व एकपक्षीय प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :-

पटवार मंडल ढाबां / 8 बी.जी.पी. के खाता सं. 32/28 के मु.नं. 29,32,33,36,37 के उक्त प्रकरण में पटवारी मौके पर जाकर काब्जाकाशत अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जो कि निम्न प्रकार से है :-

तहसील संगरिया के चक 8 बी.जी.पी. पटवार मंडल ढाबां के खाता सं. 32/28


प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/150	29	17,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
199/151	32	3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7ता14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17,18,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.25 है.,
199/152	37	3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
200/151	33	3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 21,22,23/0.253 है.प्र., 24/0.188 है.
200/152	36	1/1/0.190 है., 4/2/0.126 है., 8,9,10/0.253 है.प्र., कुल = 9.359 है.

काशतकार के बताए अनुसार मौका कब्जा निम्न प्रकार से है:-

हरविन्द्र सिंह, लखविन्द्र सिंह पुत्रगण श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/151	32	17/1/0.224 है.प्र., 18,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.25 है.,
199/152	37	3/0.253 है. कुल = 1.489 है.

दर्शन सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) 1.746 है. राहिन एस.बी.आई. शाखा ढाबां।

महायक  एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/150	29	17,23,24/0.253 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
199/151	32	3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/0.253 है., 8/1/0.202 है, कुल = 2.479 है.

महावीर पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट निवासी भागूवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब) 0.759 है. राहिन पंजाब नैशनल बैंक शाखा संगरिया।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/151	32	8/2/0.051 है., 9ता14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17/2/0.029 है.प्र., कुल 2.104 है.,

सुलोचनो पत्नी श्री हरिशचन्द्र 0.505 है., सुशीला देवी पत्नी श्री धर्मवीर 0.127 है., मन्जू पत्नी श्री रमन 0.127 है., समस्त जाति जाट निवासी ढाबां राहिन पंजाब नैशनल बैंक शाखा ढाबां।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
200/151	33	3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., कुल 0.759 है.,

मन्दीप सिंह पुत्र श्री बलकौर सिंह 1/2 हिस्सा, नवदीप सिंह पुत्र श्री राज सिंह 1/2 हिस्सा, समस्त जाति जटसिख निवासी ढाबां।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
200/151	33	21,22,23/0.253 है.प्र., 24/0.188 है.,
200/152	36	4/2/0.126 है., कुल 1.073 है.

मोहन सिंह पुत्र श्री रूड़ सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
200/152	36	1/1/0.190 है., कुल 0.190 है.

गुरजन्त सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
200/152	36	8,9,10/0.253 है.प्र., कुल 0.759 है.

कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुखमहेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/152	37	4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., कुल 0.506 है.

उक्त रकबा पर अजायब सिंह पुत्र श्री चनण सिंह, गुरचरण सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, गुरसेवक सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह, जगसीर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, जोरा सिंह पुत्र श्री चनण सिंह, धर्म सिंह पुत्र श्री दल सिंह, बन्त सिंह पुत्र श्री दल सिंह, बलदेव सिंह पुत्र श्री सूचा सिंह, मुखत्यार सिंह पुत्र श्री चनण सिंह, लाभ सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, समस्त जाति जटसिख निवासी बंबीहा तहसील बठिण्डा, काला सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, गुरजीत सिंह पुत्र

महायुक्त कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
लुधियाना

श्री अजमेर सिंह गुरदेव सिंह पुत्र श्री बक्शीस सिंह, गुरनायब सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, तारा सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह, दलीप सिंह पुत्र श्री हरदत सिंह, नक्षत्र सिंह पुत्र श्री बक्शीस सिंह, राम सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, सोहन सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, हजूर सिंह पुत्र श्री हरदत सिंह, हरनाम सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह समस्त जाति जटसिख निवासी ढाबां अमोचन्द पुत्र श्री रामजस, रामचन्द्र पुत्र श्री बीरबल, रामप्रताप पुत्र श्री बीरबल, रामरिख पुत्र श्री रामजस, हरिशम पुत्र श्री रामजस जाति जाट निवासी ढाबां का मौका कब्जा काशत नहीं है।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से आयम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी / प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.4.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया
मंगरिया